

37/CC/D-3/16

प.क्र.

/विधिक/22/वि-3/ग्रायासे/2016

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल चरकुड़े
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायासे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत श्री ब्रजेश मिश्रा, उपपंजीयक मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त नोटिस का अवलोकन करना चाहेंगे। नोटिस के माध्यम से प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 08.03.2016 के पूर्व जबाब प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है :-

1. याचिका श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायासे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ द्वारा दायर की गई है।
2. विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2000 के द्वारा श्री मोहम्मद शहादत अंसारी उपयंत्री जनपद पंचायत दंतेवाडा को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य आवंटित कर जिला झाबुआ में पदस्थ किया गया।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दंतेवाडा के आदेश दिनांक 31.10.2001 के द्वारा श्री अंसारी उपयंत्री की स्थापना जिला झाबुआ किये जाने के कारण दिनांक 31.10.2001 को भारमुक्त किया गया।
4. उपसचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 28.11.2001 को आदेश जारी कर विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2000 के द्वारा मोहम्मद अंसारी को राज्य पुर्नगठन प्रकोष्ठ भोपाल से अंतिम सूची प्राप्त होने तक आगामी आदेश पर्यन्त मध्यप्रदेश राज्य भारमुक्त न किये जाने के निर्देश जारी किये। उक्त आदेश के परिपालन में श्री अंसारी यथावत् जनपद पंचायत दंतेवाडा में कार्यरत रहे।
5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2008 में जारी उपअभियंताओं की वरिष्ठता सूची में श्री अंसारी का नाम शामिल नहीं किया गया। जिसके विरुद्ध श्री अंसारी ने छत्तीसगढ़ राज्य के विरुद्ध याचिका क्र. 3364/2015 दायर की थी। याचिका का निराकरण करते हेतु मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 16.09.15 को याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के भारमुक्त करने के संबंध में कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये।
6. संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 30.11.2015 को आदेश जारी कर श्री मोहम्मद अंसारी को भारमुक्त करते हुए मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल को उपस्थिति देने के निर्देश दिये।

37/00/0-3/14

प.क्र. /विधिक/22/वि-3/ग्रायासे/2016

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा सपर्यन्त
अधीक्षक-श्री अनिल उरकुडे
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. स...

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी
सहायक यंत्री, ग्रायासे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य
में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ :-

उपरोक्त भारमुक्ती आदेश के विरुद्ध श्री अंसारी द्वारा मान. उच्च न्यायालय
बिलासपुर छत्तीसगढ़ में याचिका दायर कर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य अभियंता, ग्रायासे विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़ रायपुर, सचिव मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, सचिव जन शिक्षायात एवं पेंशन निराकरण मंत्रालय नईदिल्ली एवं
कार्यपालन यंत्री, ग्रायासे संभाग दंतेवाडा छत्तीसगढ़ को प्रतिवादी बनाया है।

प्रकरण में विभाग की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त
करना चाहेंगे।

अधीक्षक यंत्री (स्था.)

प्रकरण में OLC S.E. RES 23/2/16
Jabalpur को बनाया जाना स्थापित।

CE

प्रकरण में 25/02/16 या 26/2/16
प्रति Netform file दिखाना मंगाया
S.E. RES. Jabalpur को OLC
बनाया जाये - अनुमोदित।

जि.म.क.

सा.वि.न.

-A. Approved-

ENR RES.

37/CC/D-3/16

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल तरकुडे
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

प.क्र. /विधिक/22/वि-3/आयासे/2016

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायांसे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ :-

N/L के अनुमोदन अनुसार OLC के आदेश जारी किए जाने देन नसी D-16 को अंकित करना चाहिए।

SE(Est)

N/L सचिव महो. के अनुमोदन अनुसार OLC SoEO, Rtd, Jabalpur के आदेश जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव

1/3/16

11/03/16

11-16

01/03/16
(ए. के. संतोषी)
अधीक्षक यंत्री (स्था.)

पूर्वपृष्ठ N-2 पर सचिव महो. के अनुमोदन अनुसार उपरोक्त प्रकटा में सचिव महो. का यो. सेवा मण्डल जखलपुर (को) प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु आदेश का प्राप्ति अनु. हस्ता. प्रस्तुत है।

से.आ. (वि.वि.)

उप सचिव महो.
मं.प्र. शासक
पंचव. शा. वि. वि.

2/3/16

J.C. (Law) on leave
जा.व.व.

4-3-16

30/9/92
9/10/16
जा.व.व.

622/16/1/16
श-3-16

99/1/1/16/RES/1
2-3-16
21/03/16

116
No. 116/22/D-16/वि.प्र./2016
2-3-2016
DATE

डा. वि. प्र. शा. वि. वि.
11/3/16
11/3/16

(4)

37

प.क्र.

/ विधिक / 22 / वि-3 / ग्रायासे / 2016

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्षा)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल चरकुटे
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. सतीष

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायांसे दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बावत्।

पूर्व पृष्ठ :-

विभागीय आदेश क्र. 3091 दिनांक 08.03.16 द्वारा रिट पिटीशन क्र. 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी, सहायक यंत्री, ग्रा.यां.से. दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित की जाना प्रस्तावित है।

संयुक्त आयुक्त (विधि)

34 दस्तावेज
पं.स.म. आ.वि.०१०

Dy. Secy. (Law)

10/3/16

28/2/16
15-3-16

10/3/16

8097

No. 128/22/D-16/वि.प्र./2016
DATE 10-3-16

No. 128/22/D-16/वि.प्र./2016
DATE 10-3-16

8097

(503/2016)

51/A-14/22/2016

The case is fixed for 08.03.2016

D3

NOTICE ON - Merit & I/R

08.03.2016


IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

1

No. WPS-18 of 2016

From:

Brajesh Mishra
Deputy Registrar
High Court of Chhattisgarh,
Bilaspur (C.G.)

1733
19-02-2016

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Department of Panchayat and Rural Development,
Vallabh Bhawan, Bhopal (Madhya Pradesh)

Bilaspur 18/01/2016

Subject:

Notice to Respondent No. 3 in Writ Petition (Habeas Corpus/Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No WPS - 18 of 2016.

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Mohd. Shahadat Ansari has/have filed a petition under Article 226/227 of the Constitution of India (Copy Enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Habeas Corpus/Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WPS - 18 of 2016.

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged advocate on or before 08/03/2016. if no return is filed as aforesaid the petition will be heard and decided *ex parte*.



Yours faithfully

Deputy Registrar

Enclosure: Copy of Petition with annexure.

30/05/2016
15/2/16

S.E. (Estt) 13/02/16

OIC

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT
BILASPUR (C.G.)**

Writ Petition (S) No. 18 of 2016

PETITIONER : Mohd. Shahadat Ansari

VERSUS

RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & others

INDEX

SR.NO.	PARTICULARS	ANNEX.	PAGE NO
01.	Synopsis		A to B
02.	Writ petition U/A 226 of the Constitution of India alongwith Certificate & Affidavit		1 to 14
03.	A copy of order dated 15.12.2000	P/1	15 to 16
04.	A copy of relieving order dated 31.10.2001	P/2	17
05.	A copy of order dated 28.11.2001	P/3	18
06.	A copy of representation dated 10.02.2010	P/4	19 to 19A
07.	A copy of representation dated 18.10.2011	P/5	20
08.	A copy of representation dated 11.03.2015	P/6	21
09.	A copy of memo dated 17.03.2015	P/7	22

10.	A copy of order dated 17.08.2015	P/8	23
11.	A copy of order dated 16.09.2015	P/9	24 to 25
12.	A copy of order dated 02.11.2015	P/10	26 to 27
13.	A copy of representation dated 06.11.2015	P/11	28
14.	A copy of impugned order dated 30.11.2015	P/12	29 to 30
15.	A copy of representation dated 17.12.2015	P/13	31 to 32
16.	Application for grant of ad-interim relief with affidavit		33 to 34
17.	Vakalatnama		35

BILASPUR
DATE : 03.01.2016

(BHARAT RAJPUT)
COUNSEL FOR THE PETITIONER

Vr. No. 8/2

(A) (4)

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT
BILASPUR (C.G.)**

Writ Petition (S) No. 18 of 2016

PETITIONER : Mohd. Shahadat Ansari

VERSUS

RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & others

SYNOPSIS

The petitioner is working and rendering his services in the State of Chhattisgarh since 1990 as Sub Engineer in the Rural Engineering Services Department, Bastar Region of erstwhile State of Madhya Pradesh. After reorganization of erstwhile State of Madhya Pradesh and formation of Chhattisgarh State, by virtue of State Reorganization Act, 2000, the authority directed the petitioner to submit his option regarding posting and the petitioner opted for State of Madhya Pradesh and accordingly vide order dated 15.12.2000 the services of petitioner was allocated to the State of Madhya Pradesh and posted him from Dantewada to Jhabua. Pursuant to aforesaid order dated 15.12.2000, the petitioner was relieved for State of Madhya Pradesh at Jhabua vide order dated 31.10.2001. However subsequently vide order dated 28.11.2001, the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department directed that the petitioner shall not be relieved till receiving final list from the State Reorganization Cell, Bhopal and accordingly petitioner was continued in the State of Chhattisgarh, without any hurdle, protest or complaint.

In the year 2011, the petitioner made representation for inclusion of his name in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh and subsequently requested for promotion on the next higher post. On the representation of petitioner, the respondent no. 5 recommended for inclusion of name of petitioner in seniority list.

However surprisingly vide order dated 17.08.2015, the respondent no. 2 directed the respondent no. 5 for relieving the petitioner for State of Madhya Pradesh. Being aggrieved by the aforesaid order dated 17.08.2015, the petitioner filed a Writ Petition bearing Writ Petition (S) No. 3364 of 2015, before the Hon'ble Court and vide order dated 16.09.2015, the said writ petition was dismissed by the Hon'ble Court, by holding that the petitioner has not assailed the order of

allocation, therefore the writ petition is not maintainable in its present form. Being aggrieved by the order dated 16.09.2015, the petitioner filed Writ Appeal No. 524 of 2015 before the Hon'ble Division Bench of this Hon'ble Court and the same was dismissed as withdrawn vide order dated 02.11.2015 with liberty to pursue matters in a departmental representation.

Accordingly the petitioner filed detailed representation before the respondent no. 1 & 2, whereby requested to permit him to continue in the State of Chhattisgarh., but vide impugned order dated 30.11.2015, the respondent no. 1 has relieved the petitioner for State of Madhya Pradesh. Hence this petition.

DATE		EVENTS
15.12.2000	:	Petitioner was allocated to the State of M.P.
31.10.2001	:	Petitioner was relieved for the State of M.P.
28.11.2001	:	The Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department directed that the petitioner shall not be relieved till receiving final list from the State Reorganization Cell, Bhopal.
18.10.2011	:	Petitioner filed representation for inclusion of name of petitioner in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh.
11.03.2015	:	Petitioner filed representation for inclusion of his name in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh and further for consideration of his case for promotion to the next higher post.
17.03.2015	:	Respondent no. 5 was recommended for inclusion of his name in the seniority list of Sub-Engineer.
17.08.2015	:	Respondent no. 2 directed for relieving of petitioner for State of M.P.
16.09.2015	:	Order passed by the Hon'ble Court in Writ Petition (S) No. 3364 of 2015.
02.11.2015	:	Order passed in Writ Appeal No. 524 of 2015.
06.11.2015	:	Petitioner made representation.
30.11.2015	:	The respondent no. 1 relieved the petitioner for State of M.P..

BILASPUR
DATE : 03.01.2016

(BHARAT RAJPUT)
COUNSEL FOR THE PETITIONER

①
⑥

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT

BILASPUR (C.G.)

Writ Petition (S) No. 18 of 2016

PETITIONER

: Mohd. Shahadat Ansari, aged about 59 years, son of late Jamaluddin, posted as Assistant Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division, District-Dantewada (C.G.)

VERSUS

RESPONDENTS

- :1. State of Chhattisgarh
Through the Secretary,
Panchayat and Rural
Development Department,
Mahanadi Bhawan, Mantralaya,
New Raipur (C.G.)
2. The Chief Engineer, Rural
Engineering Services, Office of
Development Commissioner,
Chhattisgarh, New Raipur (C.G.)
3. The State of Madhya Pradesh,
Department of Panchayat and
Rural Development, Vallabh
Bhawan, Bhopal (M.P.)
4. Union of India, through the
Secretary, Personnel, Public
Grievance and Pension
Mantralaya, Personnel &
Training Department, Third
Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan
Market, New Delhi
5. The Executive Engineer, Rural
Engineering Services, Dantesada
Division, District-Dantewada
(C.G.)



WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

1 **PARTICULARS OF THE PETITIONER :-**

02.11.2015 with liberty to pursue matters in a departmental representation.

Accordingly the petitioner filed detailed representation before the respondent no. 1 & 2, whereby requested to permit him to continue in the State of Chhattisgarh., but vide impugned order dated 30.11.2015, the respondent no. 1 has relieved the petitioner for State of Madhya Pradesh. Hence this petition on the following facts & grounds :

4. **WHETHER CAVEAT FILED, IF YES, WHETHER COPY OF THE PETITION SUPPLIED TO THE CAVEATOR :**

That, as per knowledge of the petitioner, till date no caveat has been filed and copy of the any caveat application has not been received by the petitioner.

5. **DETAILS OF REMEDY EX-HAUSTED: -**

The petitioner has no other alternative efficacious remedy except to approach this Hon'ble Court under Article 226 of the Constitution of India.

6. **MATTER NOT PREVIOUSLY FILED WITH ANY OTHER COURT OF LAW:-**

The petitioner declares that the matter regarding which this petition has been made is not pending with any other Court/Tribunal etc.

7. **DELAY IN FILING IN THIS PETITION:-**



That, the petitioner declares that there is no delay in filing the instant petition.

8. **FACTS OF THE CASE :-**

8.1 That, the petitioner is a citizen of India and as such he is entitled to have all such benefits as have been enshrined upon him by the Constitution of India.

8.2 That, the petitioner was duly appointed on the post of Sub-Engineer in the year 1981 and he joined the services on 05.09.1981, in the erstwhile State of Madhya Pradesh.

8.3 That, the petitioner is working and rendering his services in the State of Chhattisgarh since 1990 as Sub Engineer in the Rural Engineering Services Department, Bastar Region of erstwhile State of Madhya Pradesh.

8.4 That, from 1981 to September, 1990, the petitioner was served as Sub-Engineer in the erstwhile State of Madhya Pradesh.

8.5 That, after reorganization of erstwhile State of Madhya Pradesh and formation of Chhattisgarh State, by virtue of State Reorganization Act, 2000, the authority directed the petitioner to submit his option regarding posting and the petitioner opted for State of Madhya Pradesh and accordingly vide order dated 15.12.2000 the services of petitioner was allocated to the State of Madhya Pradesh and posted him from Dantewada to



Jhabua. A copy of order dated 15.12.2000 is annexed herewith as ANNEXURE P/1.

- 8.6 That, pursuant to aforesaid order dated 15.12.2000, the petitioner was relieved for State of Madhya Pradesh at Jhabua vide order dated 31.10.2001. A copy of relieving order dated 31.10.2001 is annexed herewith as ANNEXURE P/2.
- 8.7 That, however subsequently vide order dated 28.11.2001, the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department directed that the petitioner shall not be relieved till receiving final list from the State Reorganization Cell, Bhopal. A copy of order dated 28.11.2001 is filed herewith as ANNEXURE P/3.
- 8.8 That, accordingly the petitioner has been permitted to continue in the Janpad Panchayat Dantewada, State of Chhattisgarh.
- 8.9 That, as the petitioner was continued in the State of Chhattisgarh, without any hurdle, protest or complaint, therefore on 10.02.2010, the petitioner filed a representation before the respondents no. 1 & 3, whereby requested for allocation his services to the State of Chhattisgarh, as the petitioner is served for about 10 years in the State of Chhattisgarh after reorganization of State of Chhattisgarh. A copy of representation dated 10.02.2010 is annexed herewith as ANNEXURE P/4.



8.10 That, on 18.10.2011, the petitioner filed another representation before the respondent no. 2 for inclusion of name of petitioner in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh. A copy of representation dated 18.10.2011 is annexed herewith as **ANNEXURE P/5**. It is noteworthy to mention here that the representation of petitioner was communicated to the Executive Engineer, Rural Engineering Services and the Executive Engineer recommended for inclusion of name of petitioner in seniority list.

8.11 That, thereafter on 11.03.2015, the petitioner filed another representation for inclusion of his name in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh and further for consideration of his case for promotion to the next higher post. A copy of representation dated 11.03.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE P/6**.

8.12 That, on the representation of petitioner, vide memo dated 17.03.2015, the Executive Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division has recommended the respondent no. 2 for inclusion of name of petitioner in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh. A copy of memo dated 17.03.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE P/7**.



8.13 That, all of a sudden vide order dated 17.08.2015, the respondent no. 2 directed the respondent no. 5 for

relieving the petitioner for State of Madhya Pradesh. A copy of order dated 17.08.2015 is annexed herewith as ANNEXURE P/8.

8.14 That, being aggrieved by the aforesaid order dated 17.08.2015, the petitioner filed a Writ Petition bearing Writ Petition (S) No. 3364 of 2015, before the Hon'ble Court and vide order dated 16.09.2015, the said writ petition was dismissed by the Hon'ble Court, by holding that the petitioner has not assailed the order of allocation, therefore the writ petition is not maintainable in its present form. A copy of order dated 16.09.2015 is annexed herewith as ANNEXURE P/9.

8.15 That, being aggrieved by the order dated 16.09.2015, the petitioner filed Writ Appeal No. 524 of 2015 before the Hon'ble Division Bench, of this Hon'ble Court and the same was dismissed as withdrawn vide order dated 02.11.2015 with liberty to pursue matters in a departmental representation. A copy of order dated 02.11.2015 is annexed herewith as ANNEXURE P/10.



8.16 That, accordingly the petitioner filed detailed representation before the respondent no. 1 & 2, whereby requested to permit him to continue in the State of Chhattisgarh. A copy of representation dated 06.11.2015 is annexed herewith as ANNEXURE P/11.

8.17 That, however vide impugned order dated 30.11.2015, the respondent no. 1 has relieved the petitioner for

(14)
S

State of Madhya Pradesh. A copy of impugned order dated 30.11.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE P/12.**

8.18 That, it is respectfully submitted that in the impugned order, there is no mention that the final list has been received from the State Reorganization Cell, Bhopal, though the earlier the petitioner was continued on the ground that no final list from the State Reorganization Cell, Bhopal is received and directed by respondent no. 1 that till receiving final list, the petitioner shall not be relieved.

8.19 That, it is further submitted that the petitioner has been served for more than 15 years in the State of Chhattisgarh after formation of State of Chhattisgarh and he is going to be retired from service with effect from 30.06.2017, therefore if the petitioner is relieved from the State of Chhattisgarh and join in the Madhya Pradesh, it will create hardship and hurdle in finalization of pension and other monetary dues payable to the petitioner.




8.20 That, therefore raising above issues, the petitioner filed representation before the respondent no. 3, whereby requested that he may be permitted to serve in the State of Chhattisgarh till his superannuation, as only 1½ years services of petitioner are remained, but till date no decision has been taken on the representation of petitioner. A copy of representation

received and directed by respondent no. 1 that till receiving final list, the petitioner shall not be relieved.

9.4 Because, the petitioner has been served for more than 15 years in the State of Chhattisgarh after formation of State of Chhattisgarh and he is going to be retired from service with effect from 30.06.2017, therefore if the petitioner is relieved from the State of Chhattisgarh and join in the Madhya Pradesh, it will create hardship and hurdle in finalization of pension and other monetary dues payable to the petitioner.

9.5 Because, the petitioner was not relieved for State of Madhya Pradesh for about 15 years after formation of State of Chhattisgarh and the impugned relieving order has been passed at the fag end of service of petitioner.

9.6 Because, the impugned relieving order has been passed by the respondent no. 1 with malafide intentions, as the petitioner filed representations for inclusion of his name in the seniority list and for considering his case for promotion on the next higher post.



9.7 Because, from a bare perusal of impugned allocation order dated 15.12.2000, it is evident that the same is passed by the respondent no. 3, however according to the State Reorganization Act, 2000 particularly the

Section 68 to 72 have vested the powers of allocation of employees to the Central Government.

9.8 Because, the petitioner has filed representation before the respondent no. 3, whereby requested that he may be permitted to serve in the State of Chhattisgarh till his superannuation, as only 1½ years services of petitioner are remained, but till date no decision has been taken on the representation of petitioner.

9.9 Because, no action was taken for relieving of petitioner for State of Madhya Pradesh for about 15 years after formation of State of Chhattisgarh, therefore now the petitioner cannot be relieved, as the impugned allocation 15.12.2000 has no effect.

9.10 Because, any other grounds will be raised at the time of hearing.

10. **RELIEF SOUGHT :-**

In view of the facts and grounds, the petitioner craves for the kind indulgence of this Hon'ble Court for the following relief(s):-



10.1 That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to set-aside the impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015 and further be pleased to direct the respondent authorities to permit the petitioner to continue in the State of Chhattisgarh, till his superannuation.

Section 68 to 72 have vested the powers of allocation of employees to the Central Government.

9.8 Because, the petitioner has filed representation before the respondent no. 3, whereby requested that he may be permitted to serve in the State of Chhattisgarh till his superannuation, as only 1½ years services of petitioner are remained, but till date no decision has been taken on the representation of petitioner.

9.9 Because, no action was taken for relieving of petitioner for State of Madhya Pradesh for about 15 years after formation of State of Chhattisgarh, therefore now the petitioner cannot be relieved, as the impugned allocation 15.12.2000 has no effect.

9.10 Because, any other grounds will be raised at the time of hearing.

10. **RELIEF SOUGHT :-**

In view of the facts and grounds, the petitioner craves for the kind indulgence of this Hon'ble Court for the following relief(s):-



10.1 That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to set-aside the impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015 and further be pleased to direct the respondent authorities to permit the petitioner to continue in the State of Chhattisgarh, till his superannuation.

10.2 That, any other relief/order which may deem fit and just in the facts and circumstances of the case including award of the costs of the petition may be given.

An affidavit in support of the petition is filed herewith.

BILASPUR

(BHARAT RAJPUT)

DATE : 03.01.2016

COUNSEL FOR THE PETITIONER

CERTIFICATE

It is certified that due care has been taken in the case to comply with provisions of Chhattisgarh High Court Rules.

BILASPUR

(BHARAT RAJPUT)

DATE : 03.01.2016

COUNSEL FOR THE PETITIONER





14

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT
BILASPUR (C.G.)**

Writ Petition (S) No. 18 of 2016

PETITIONER : Mohd. Shahadat Ansari
VERSUS
RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & others

AFFIDAVIT

I, Mohd. Shahadat Ansari, aged about 59 years, son of late Jamaluddin, posted as Assistant Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division, District-Dantewada (C.G.), do hereby solemnly affirm on oath as under :-

1. That, I am the petitioner in the instant writ petition and as such I am fully conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That, the accompanying writ petition, has been drafted as per my instructions and the contents thereof from paras 1 to 10 are true and correct to my personal knowledge based on records.



Shahadat

DEPONENT

VERIFICATION

I, Mohd. Shahadat Ansari, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from para 1 & 2 are true and correct to my personal knowledge. Hence verified and signed on 03.01.2016 at Bilaspur (C.G.)

[Signature]
Identified by me

Shahadat

DEPONENT

~~Annexure P-1~~

6

15

4

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ANNEXURE P-1

क्र. 5989 /1432/22/वि-3/ग्रायासे/2000,

भोपाल, दिनांक 15 दिसंबर, 2000

- :: आदेश :: -

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निम्नलिखित उपयंत्रों वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में पदस्थ है।
इसे द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में सेवा का विकल्प प्रस्तुत किया गया है। अतः निम्नलिखित उपयंत्रों को
मध्यप्रदेश राज्य में सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

	उपयंत्रों का नाम	वर्तमान पदस्थापना, जिला	मध्यप्रदेश में पदस्थापना जिला
	2	3	4
1	श्री आर.पी.त्रिपाठी	कोरबा	हरदा
2	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	दुर्ग	रायसेन
3	श्री सुखदेव विसेन्द्रे	जशपुर	खरगौन
4	श्री प्रेम लाल पड़वार	बिलासपुर	सीधी
5	श्री ज्योतिराल	कोरबा	बिलासपुर
6	श्री संजय राय	कोरिया	शिवपुरी
7	श्री एन.पी.सिंगोरे	कोरबा	रीवा
8	श्री एस.एल.ईनवाती	सरगुजा	बालाघाट
9	श्री आर.डी.बघेल	कोरिया	बालाघाट
10	श्री अशोक कुमार अठैया	रायसाढ़	पन्ना
11	श्री जी.सी.श्रीवास	सरगुजा	झाबुआ
12	श्री गेदालाल पटेल	दंतेवाड़ा	रीवा
13	श्री एस.पी.सिंह	सरगुजा	सीधी
14	श्री सुभाष चंद्र दीक्षित	बिलासपुर	झाबुआ
15	श्री पी.एस.ठाकुर	कांकर	झाबुआ
16	श्री आर.पी.मेहरा	कोरिया	झाबुआ
17	श्री जी.एस.बाबरिया	सरगुजा	झाबुआ
18	श्री जी.एम. सिंह	कोरिया	शहडोल
19	श्री बृजमोसी लाल गुप्ता	बिलासपुर	रीवा
20	श्री अरविंद कुमार पटेल	बिलासपुर	सीधी
21	श्री राजेन्द्र कुमार दमाहे	राजनंदगांव	झाबुआ
22	श्री व्ही.के.पसीने	कांकर	धार
2	मो. युनूस मंसूरी	बलतर	झाबुआ
2	श्री के.एल.सदाफल	राजनंदगांव	बालाघाट
2	श्री हरगोविंद चौधरी	कांकर	पन्ना
2	मो. असलम खान	दुर्ग	झाबुआ

DR
Rajendra

(16)

(9)

27	मो. शहदत अंसारी	दंतेवाड़ा	झाबुआ
28	श्री हरेन्द्र सिंह यादव	बस्तर	झाबुआ
29	श्री एन.जी. डिग्वेकर	कोरिया	झाबुआ
30	श्री एस.के.पोंडे	रायपुर	नरसिंहपुर
31	श्री सैयद अनवर अली	राजनांदगांव	झाबुआ
32	श्री बंश गोपाल अग्रवाल	दंतेवाड़ा	पन्ना
33	श्री के.के.पाठक	बस्तर	इतिया
34	श्री सी.पी.सी.चौहान	कोरिया	धार
35	श्री ए.के.अंसारी	सरगुजा	मण्डला
36	श्री तापोस सरकार	कवर्धा	सिवनी

उपरोक्त उपयंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से कार्यमुक्त होने पर सम्मुख दर्शित जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, ज्वालय के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(बाइल के.दास)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 5990 /22/वि-3/ग्रायासे/2000,

भोपाल, दिनांक 15 दिसंबर, 2000

तिथिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. राज्य पुर्नगठन प्रकोष्ठ मन्त्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, सा.प्र.वि. छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, रायपुर
3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय डी.के.भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
4. कमिश्नर, रीवा, जबलपुर, भोपाल, सागर, इंदौर, उज्जैन, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर एवं बस्तर
5. कलेक्टर, (संबंधित) ----- मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ----- मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ : इन अधिकारियों का कार्यभार अन्य को सौंपकर आदेश पालन की स्थिति से फौक्स द्वारा अवगत करावे।
7. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल कार्यालय रीवा, जबलपुर, भोपाल, सागर, इंदौर, उज्जैन, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर एवं बस्तर
8. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, (संबंधित) ----- मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़।

T.E.
Sawar

असिचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय जनसद ईयापत कन्वेन्सन्स विभाग-कन्वेन्सन्स

//अति//

प्रति/ 1446/स्वा/2001 कन्वेन्सन्स विभाग

सदस्यता कानून ईयापत एवं ग्रामीण विकास विभाग बीरगंज के आदेश क्रमांक 5989/22/वि-3/ग्राउन्डिंग/2000 दिनांक 15-12-2000 एवं उत्तरीय राज्य कानून ईयापत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 1803/वि-2/स्वा/01 रायपुर दिनांक 20-4-2001 के अनुसार जो स्थापनाकारी उद्देश्यों का उद्देश्यजनक जनसद ईयापत कन्वेन्सन्स से विभागाध्यक्ष [मोडो] में होने के सम्बन्ध में उन्हें आज दिनांक 31-10-2001 को असाहच में बाधुवत किया जाता है।

यह अतिम तथ्याप्त प्रमाण्योक्त होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनसद ईयापत कन्वेन्सन्स

क्रमांक 1446/A/स्वा/2001 कन्वेन्सन्स दिनांक 31/10/01

प्रतिलिपि:- सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य तथ्याप्त ईयापत एवं ग्रामीण विकास विभाग बीरगंज मोडो.
2. मुख्य तथ्याप्त ईयापत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर उत्तरीय.
3. अधीकृत क्षेत्री ग्राउन्डिंग वस्तर गैजट कन्वेन्सन्स.
4. कार्यपालन क्षेत्री ग्रा. वि. विभा. कन्वेन्सन्स/आधुना की ओर.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विभा. ईयापत कन्वेन्सन्स/आधुना की ओर.
6. अनुविभागीय अधिकारी ग्रा. वि. विभा. कन्वेन्सन्स.
7. श्री स्थापनाकारी, उत्तरीय कार्यालय जनसद ईयापत कन्वेन्सन्स की सुचनाई एवं सतनाई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनसद विभाग
कन्वेन्सन्स

ANNEXURE P-3

उत्तरीसंगड़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

रायपुर दि०

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 5989/22/वि-2/आयसी/2000 दिनांक 15-12-2000 के क्रमांक-27 पर अंकित श्री मोह-
मोहारी उपवर्गी ग्रामीण यात्रिकी सेवा जनपद पंचायत देतवाड़ा तिला देतवाड़ा को राज्य
पूर्णगठन प्रकोष्ठ भोपाल से अंतिम सूची प्राप्त होने तक आगामी आदेश पर्यन्त मध्यप्रदेश
राज्य हेतु भारमुक्त न किया जावे।

[Signature]

उप सचिव,

उत्तरीसंगड़ शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

फाइल 5245/वि-2/आयसी/2001,

रायपुर

दिनांक 28-11-2001

प्रतिलिपि:-

1. मान० मुख्यमंत्रीजी, के निज सचिव की ओर नोटिफिकेट क्रमांक 2545/व्हीआईपी/लीएमएच/01 दिनांक 24-11-2001 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण दंडी, ग्रामीण यात्रिकी सेवा मंडल कार्यालय बस्तर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तिला पंचायत देतवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देतवाड़ा तिला देतवाड़ा की ओर एवं जनपद कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्री मोहम्मद अली, उपवर्गी ग्रामीण यात्रिकी सेवा जनपद पंचायत देतवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

[Signature]

उप सचिव,

उत्तरीसंगड़ शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

[Signature]

--0--

~~o/c Arroz P's Copy~~

⑬

Yid

ANNEXURE P-4

2. श्री मा. न. वि. ला. म. कायुक्त महोदय
पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
औरंगाबाद (म.प्र.)

२. श्री मा. विनायक आशुतोष महोदय
प्रधान एवं राष्ट्रीय विनायक विभाग
सिविल लाइन्स रायपुर छ.ग.)

विषय- २१७५ आर- ३ मं. ५

35000 में मजदूर प्रवेश राज्य आव-दिन किया।

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
के कार्यालय में | 5989/1432/22/वि-3/गु.पा.मे/2000
मीमांसा दि. 15 दि. 15/12/2000 के आदेश का पालन करने
हुए जो 44 पंचायत व-नेवाडा पर क्र. 1446/241/2001
द-मेवाडा दि. 31/10/2001 के आदेश के अन्तर्गत कर दिया
गया। इसमें पंचायत व-नेवाडा पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग के आदेश क्र. 5245/वि-2/गु.पा.मे/2001 रायपुर दि. 15
24/11/2001 के अन्तर्गत आदेश का पालन का आदेश दिया गया।
इस आदेश का पालन करने हेतु कु. 1446 पंचायत व-नेवाडा में
आपनी उपस्थिति देकर आ. वि. 15/12/2000 के आदेश का पालन
करने में आदेश पर विचार करने हेतु ए.पी. राज्य आ. वि.
करने का आदेश है।

$$E_1 + 2i\alpha + 4$$

10/02/10
10/02/10

टाईप कापी

प्रति,

1. श्री मान विकास आयुक्त महोदय
पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)
2. श्री मान विकास आयुक्त महोदय
पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग
सिविल लाइन रायपुर (छ.ग.)

विषय - राज्य आवंटन के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे 12/2000 में मध्य प्रदेश राज्य आवंटित किया गया था।

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के आदेश क. /5889/1432/22/विद /ग्रा.या.से./2000 भोपाल दिनांक 15 दिसंबर 2000 के आदेश का पालन करते हुये जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा पत्र क. /1446/स्था/2001

दन्तेवाड़ा दिनांक 31/10/2001 के अनुसार भार मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात छ. ग. शासन पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के आदेश क /5245/विद/ग्रा.या.से. /2001 रायपुर दिनांक 28/11/2001 के अनुसार भार मुक्त ना करने का आदेश दिया गया इस आदेश का पालन करते हुये पुनः जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा में अपनी उपस्थिति देकर आज दिनांक तक कार्य कर रहा है कृपया मेरे आवेदन पर विचार करते हुये छ.ग. राज्य आवंटित करने का कष्ट करे।

धन्यवाद

मो. शहादत अन्सारी

उप अभियन्ता
जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा

Page 4

ANNEXURE P-5

12

20

20

प्रति,

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बाबत ।

सन्दर्भ :- विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रमांक 2246/वि-2/ग्रा.
या.सेवा / 2008 रायपुर दिनांक 03.10.08

द्वारा :- कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा ।

—000—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बंध में निवेदन है कि आपके द्वारा प्रकाशित ग्रामीण
यांत्रिकी सेवा के उप-अभियंताओं की दिनांक 01.04.2008 की वरिष्ठता सूची में मेरा नाम शामिल
नहीं है ।

कृपया वरिष्ठता सूची में मेरा नाम जोड़ने का कष्ट करें ।

आज्ञा :- सेवा प्रतिफल के प्रथम -
निर्णय की छाया-प्रति ।


दिनांक - 18.10.2011

प्रार्थी


(मो.शाहदत अन्तारी)


उप अभियंता


जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा


मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
विकास आयुक्त कार्यालय (रायपुर)

हस्ताक्षर क्र. 1784/वि-2/ग्रा.या.सेवा/दन्तेवाड़ा दिनांक 18/10/2011

प्रति :- मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास
आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रमांक 2246/वि-2/ग्रा.
या.सेवा / 2008 रायपुर दिनांक 03.10.08 के संदर्भ में निवेदन है कि
मेरा नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं है।

T.S.



Executive Engineer
Rural Engineering Service Bb.
South Bastar District B.O.

(22)
(21)

प्रति,

मुख्य अभियंता महोदय
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
रायपुर (छ.ग.)विषय:- वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बाबत।
संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास रायपुर के आदेश क्रमांक
5245/वि-2/ग्रा.यां.सेवा/2001 रायपुर दिनांक 28.11.2001
द्वारा :- उचित माध्यम।

महोदय,

-:00:-

उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार मुझे राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ भोपाल से अंतिम सूची प्राप्त होने तक आगामी आदेश पर्यन्त मध्यप्रदेश राज्य हेतु भारमुक्त ना करने का आदेश दिया गया था तदनुसार मुझे भारमुक्त नहीं किया गया।

वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु मेरे द्वारा संभागीय कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दंतेवाड़ा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, संभागीय कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दंतेवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 1784/ग्रा.यां.सेवा/2011 दंतेवाड़ा दिनांक 18.10.2011 के अनुशंसा सहित मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को प्रेषित किया गया था।

पुनः आपसे निवेदन है कि वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने की कृपा करे। वरिष्ठता सूची में नाम ना जोड़ने के कारण पदोन्नति के लाभ से आज दिनांक तक वंचित हूँ।

भवदीय

11/3/15
(मो. शाहादत अंसारी)प्र.सहायक अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)


प्रतिलिपि:-

1. सचिव महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
-
- संप्रेषित।

भवदीय

11/3/15
(मो. शाहादत अंसारी)प्र.सहायक अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

को प्रति



ANNEXURE P-7

22

22

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

मो.नं.-9479036821, ई मेल पता:- ee-res.Dantewada@nic.in

क्रमांक/522/स्था0/ग्रा.या.सेवा/2015

दन्तेवाड़ा दिनांक-17/03/2015

प्रति,

मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बाबत।

-00:-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री एम.एस. अंसारी प्रभारी सहायक अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है आवेदन पत्र में वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया गया है आवेदन पत्र संलग्न कर वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने की अनुरासा सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17/03/15
(संतोष नाग)

कार्यपालन अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
दन्तेवाड़ा दिनांक-17/03/2015

पृ.क./523/स्था0/ग्रा.या.सेवा/2015

प्रतिलिपि:-

01/ श्री एम.एस. अंसारी, प्रभारी सहायक अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

17/03/18
(संतोष नाग)

कार्यपालन अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

ANNEXURE P-8



28

23

क्रमांक SS20 / 3277 / स्था / 22 / वि-3 / ग्रायांसे / 15 रायपुर, दिनांक 12/08/2015

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
दंतेवाड़ा संभाग, दंतेवाड़ा

विषय:- श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दंतेवाड़ा के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1406 / स्था / ग्रा.यां.से. / 2015, दिनांक 24/06.2015.

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 5989, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 की प्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार श्री मो. शहादत अंसारी, उपअभियंता द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विकल्प प्रस्तुत किया गया था, अतः इन्हें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत जिला आबुआ (म.प्र.) में पदस्थ करते हुए कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2/ अतः श्री मो. शहादत अंसारी, उपअभियंता को मध्यप्रदेश राज्य के लिए भारमुक्त करें एवं श्री अंसारी, उपअभियंता को मध्यप्रदेश राज्य के लिए भारमुक्त नहीं किया गया था, की जानकारी भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(एस.एन.श्रीवास्तव) 12/08/15
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

पू.क्र. SS21 / 3277 / स्था / 22 / वि-3 / ग्रायांसे / 13 रायपुर, दिनांक 12/08/2015

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बस्तर मण्डल, जगदलपुर को सूचनाार्थ।

(एस.एन.श्रीवास्तव) 12/08/15
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

Annexure A/1



NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPURWPS No. 3364 of 2015

- Mohd. Shahadat Ansari S/o Late Jamaluddin, Aged About 58 Years Occupation- Service, Presently Working As Asstt. Engineer, In The Office Of Rural Engineering Services, Dantewada Division, Civil And Revenue District Dantewada, (Chhattisgarh)

--- Petitioner

Versus

1. The State Of Chhattisgarh Through The Secretary, Department Of Panchayat Evam Rural Development, New Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Raipur, (Chhattisgarh)
2. Chief Engineer, Rural Engineering Services, Office Of Development Commissioner, Chhattisgarh, New Raipur, (Chhattisgarh)
3. The State Of Madhya Pradesh, Through The Secretary, Department Of Panchayat And Rural Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, (Madhya Pradesh)
4. The Union Of India, Through The Secretary, Department Of Personnel And Affairs Grievances Cell, New Delhi

--- Respondent



For Petitioners	Mr. P.K. Tulsyan, Advocate
For Respondent/State	Mr. P.K. Bhaduri, Government Advocate
For Respondent No.4	Mr. Ashwani Shukla, Advocate

S.B.:Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar MishraOrder On Board16/9/2015.

Heard finally with the consent of learned counsel for the parties.

- (2) The petitioner would assail the order (Annexure P/6) issued by the Chief Engineer, Rural Engineering Services, Chhattisgarh in the office of Development Commissioner, Chhattisgarh, whereby, the





8

25

26

Executive Engineer, RES, Dantewada Division has been directed to forthwith relieve the petitioner to enable him to join at Jhabua (M.P.), where, the petitioner has been posted on allocation of his services to the State of Madhya Pradesh.

(3) It appears upon reorganization of the erstwhile State of Madhya Pradesh, the petitioner was allocated to the successor State of Madhya Pradesh, however, the petitioner continued in the State of Chhattisgarh.

(4) The writ petition is not maintainable in its present form, inasmuch as, without assailing the order of allocation, the petitioner cannot independently challenge the communication, by which, the office of Development Commissioner, Chhattisgarh has directed the Executive Engineer to relieve the petitioner.


(5) Accordingly, the writ petition is dismissed, as not maintainable.

Sd/-

Judge

(Prashant Kumar Mishra)

Shyna





NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Writ Appeal No. 524 of 2015

Mohd. Shahadat Ansari S/o Late Jamaluddin, Aged about 58 years, Occupation Service, presently working as Assistant Engineer in the office of Rural Engineering Services, Dantewada Division, Civil and Revenue District Dantewada (Chhattisgarh)

--- Appellant

Versus

1. State of Chhattisgarh through Secretary, Department of Panchayat Evam Rural Development, Mahanadi Bhawan, Naya Mantralaya, New Raipur, District Raipur, Chhattisgarh.
2. Chief Engineer, Rural Engineering Services Office of development Commissioner, Chhattisgarh, New Raipur, Chhattisgarh.
3. The State of Madhya Pradesh Through Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh.
4. The Union of India, Through the Secretary, Department of Personnel & Affairs Grievances Cell, New Delhi.

--- Respondents



For Appellant

For Respondents 1 & 2/State

Shri Sanjay Patel, Advocate.

Shri Vinod Deshmukh, Deputy Advocate
Government.

Hon'ble Shri Navin Sinha, Chief Justice

Hon'ble Shri P. Sam Koshy, J.

Order on Board

Per Navin Sinha, Chief Justice

02/11/2015

1. After some argument, leave is sought to withdraw the appeal to pursue matters in a departmental representation.
2. We make no observations with regard to the same.
3. The writ appeal is dismissed as withdrawn.

Sd/-
(Navin Sinha)
CHIEF JUSTICE

Sd/-
(P. Sam Koshy)
JUDGE

Amit





26

27

Express/48352/2015

02/11/2015	(1) Application received on
03/11/2015	(2) Applicant told to appear on
04/11/15	(3) Applicant appeared on
2/11/15	(4) Application (With or without further or correct particulars) sent to record-room
4/11/15	(5) Application received from record-room with record or without record for further or correct particulars on
-	(6) Applicant given notice for further or correct particulars on
-	(7) Applicant given notice for further funds on
-	(8) Notice in column (6) or (7) complied with on
04/11/2015	(9) Copy ready on
04/11/15	(10) Copy delivered or sent on
B 2 7/11/15	Court fee paid.

Copyist 04/11/15
Comptroller 4/11/15
Head Copyist 04/11/15

प्रति,

माननीय मुख्य अभियंता महोदय,

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय
रायपुर (छ.ग.)

ANNEXURE P-11

(28)

(29)

विषय:-

रिट अपील नं. 524/2015 पक्षकार मोहम्मद शहादत अंसारी विरुद्ध छ.ग. शासन
एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.11.2015 के परिपालन में यह अभ्यावेदन
सादर प्रस्तुत है।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मुझे दिनांक 15.12.2000 को दत्तेवाड़ा छ.ग. से झाबुआ म.प्र. में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया था तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दत्तेवाड़ा द्वारा दिनांक 21.10.2001 को मुझे भारमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया था। तदुपरांत उपसचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा राज्य पुर्नगठन प्रकोष्ठ भोपाल से अंतिम सूची प्राप्त होने तक आगामी आदेश पर्यन्त म.प्र. राज्य हेतु भारमुक्त ना किया जावे का आदेश पारित किया था। तदुपरांत मैं छ.ग. में ही लगातार कार्य कर रहा हूँ तथा पदस्थ हूँ।

मेरे द्वारा दिनांक 18.10.2011 को आपके समक्ष वरिष्ठता सूची में नाम जुड़ने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तदुपरांत दिनांक 10.03.2015 को राज्य आबंटन के संबंध में भी आवेदन प्रस्तुत किया था, तदुपरांत मुझे दिनांक 17.08.2015 को अचानक इतने सालों बाद मध्य प्रदेश राज्य के लिये भारमुक्त करें तथा भारमुक्त क्यों नहीं किया गया है कि जानकारी भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें का पत्र प्रेषित किया गया है। तदुपरांत मेरे द्वारा कईयों बाद इतने वर्षों तक छ.ग. में कार्य एवं सेवा देने एवं वर्तमान में मेरा सेवानिवृत्ति भी बहुत ही कम समय बचा है इसलिये बाकी समय को भी छ.ग. में ही कार्य पर रखा जावे एवं भारमुक्त ना करने की प्रार्थना की गई थी।

मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. में एक याचिका भी प्रस्तुत किया गया था जो पोषणीय नहीं होने पर निरस्त किया था, तदुपरांत उपरोक्त आदेश के खिलाफ माननीय डिप्टीजन बेंच में रिट अपील नं. 524/2015 प्रस्तुत किया था जो विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु तथा माननीय डिप्टीजन बेंच उच्च न्यायालय के स्वीकृति एवं अनुमति के बाद अपने रिट अपील वापस अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की शर्त पर ली गई एवं उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है तथा यह अभ्यावेदन सादर प्रस्तुत है तथा मुझे अब मध्यप्रदेश प्रांत पर भारमुक्त ना किये जाने की कृपा किये जावे।

दिनांक :- 08.11.2015

Shaukat

06/11/2015

आवेदक

प्रतिलिपि :- श्रीमान सचिव महोदय, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मो. शहादत अंसारी
प्र. सहायक अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दत्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर, दत्तेवाड़ा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 30/11/2015

क्रमांक 5934 /3277/R-5323/22/वि-3/ग्रायांसे/2015 :: मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5989/1432/22/वि-3/ग्रायांसे/2000, दिनांक 15 दिसम्बर, 2000 अनुसार श्री मो. शहादत अंसारी, उपअभियंता द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विकल्प प्रस्तुत किया गया था, अतः इन्हें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत जिला झाबुआ (म.प्र.) में पदस्थ करते हुए, कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2/ अतः जनपद पंचायत दंतेवाड़ा के आदेश क्रमांक 1446/ज.प./स्था/2001, दिनांक 31.10.2001 अनुसार श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता को म.प्र. राज्य के लिए भारमुक्त कर दिया गया था।

3/ छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5245/वि-2/ग्रा.यां.से./2001, रायपुर, दिनांक 28.11.2001 अनुसार अंतिम राज्य आवंटन सूची प्राप्त होने तक श्री अंसारी, उपअभियंता को भारमुक्त नहीं किया जाना था।

4/ श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2017 है।

5/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा को मध्यप्रदेश राज्य के लिए भारमुक्त किया जाता है।

6/ वे अपना उपस्थिति मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एल.नायक)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निरंतर...2...

पू.क्र. 7935/3277/R-5323/22/वि-3/ग्रायांसे/15 रायपुर, दिनांक 30/11/2015

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संभागीय आयुक्त, बस्तर (छ.ग.)।
5. कलेक्टर, जिला दंतवाड़ा (छ.ग.)।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतवाड़ा (छ.ग.)।
7. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर /भोपाल।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बस्तर मण्डल, जगदलपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, दंतवाड़ा संभाग, दंतवाड़ा।
10. श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दंतवाड़ा, जिला दंतवाड़ा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

28/11/15

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रति,

माननीय प्रमुख अभियन्ता महोदय
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
विन्ध्याचल भवन भोपाल

विषय:- छत्तीसगढ़ में शेष सेवा अवधि को पूर्ण करने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रार्थना पत्र।

संदर्भ:- मेरा आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2015 माननीय विकास आयुक्त महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सविनय निवेदन है कि -

1. यह कि मेरी प्रथम नियुक्ति 09/1981 में विकास खण्ड बजाग जिला मण्डला में उप अभियन्ता के पद पर हुई।
2. 09/1981 से 07/1984 तक विकास खण्ड बजाग जिला मण्डला में उप अभियन्ता के पद पर रहा।
3. 07/1984 से 09/1990 तक विकास खण्ड अमरपुर जिला मण्डला में कार्यरत रहा।
4. 09/1990 से 10/1995 तक विकास खण्ड अंतागढ़ जिला बस्तर (छ0ग0) में कार्यरत रहा।
5. 10/1995 से 02/2012 तक जिला दंतेवाड़ा में उप अभियन्ता एवं 02/2012 से आज तक सहायक अभियन्ता के पद पर विभिन्न उप संभागों में पदस्थ हूँ।
6. म.प्र. शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/5989/1432/22/वि-3/ग्रा.या.से./2000 भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर 2000 के अनुसार म.प्र. आबंटित किया गया था।

 S. S. S. S.

7. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश प्र.क. 5245/वि-2/ग्रा.या.से/2001 रायपुर दिनांक 28.11.2001 को आगामी आदेश पर्यन्त तक म.प्र. राज्य हेतु भार मुक्त ना किया जाने का आदेश दिया गया।

आदेशानुसार छ0ग0 के जिला दन्तेवाड़ा में विगत 20 वर्षों से अधिक सेवा अवधि से रहने के कारण मेरा परिवार छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गया है।

अतः आप से विनम्र प्रार्थना है कि मानवीय आधार पर शेष सेवा अवधि छत्तीसगढ़ में ही रह कर पूरी करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

दिनांक: 27.11.2015

आवेदक,

M. Ansari

मो० शहादत अंसारी

प्र.सहायक अभियंता,

ग्रा.या.सेवा संभाग, दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT
BILASPUR (C.G.)**

I.A. No. 1 /2016

In
Writ Petition (S) No. 18 of 2016

PETITIONER : Mohd. Shahadat Ansari

VERSUS

RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & others


APPLICATION FOR GRANT OF AD-INTERIM RELIEF

The following is most respectfully submitted on behalf of the petitioner :-

- (1) That, the petitioner has filed the instant writ petition, against the impugned allocation order dated 15.12.2000 and impugned relieving order dated 30.11.2015.
- (2) That, the petitioner has a very good case in his favour & hope to succeed in it.
- (3) That, the contents narrated in the annexed writ petition may kindly be considered for the adjudication of this application also.
- (4) That, if the effect and operation of the impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015 will not be stayed by this Hon'ble Court, then the petitioner will suffer irreparable loss.
- (5) That, an affidavit in support of this application is filed herewith.

PRAYER

It is therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to stay the effect & operation of impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015, till the final disposal of this petition, in the interest of justice.



BILASPUR
DATE : 03.01.2016

(BHARAT RAJPUT)
COUNSEL FOR THE PETITIONER





36
34

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT
BILASPUR (C.G.)**


Writ Petition (S) No. 18 of 2016

PETITIONER : Mohd. Shahadat Ansari
VERSUS
RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & others

AFFIDAVIT

I, Mohd. Shahadat Ansari, aged about 59 years, son of late Jamaluddin, posted as Assistant Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division, District-Dantewada (C.G.), do hereby solemnly affirm on oath as under :-

1. That, I am the petitioner in the instant writ petition and as such I am fully conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That, the accompanying application for grant of interim relief, has been drafted as per my instructions and the contents thereof from paras 1 to 5 are true and correct to my personal knowledge based on records.



VERIFICATION

Ansari

DEPONENT

I, Mohd. Shahadat Ansari, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from para 1 & 2 are true and correct to my personal knowledge. Hence verified and signed on 03.01.2016 at Bilaspur (C.G.)

[Signature]
Identified by me

Ansari

DEPONENT

41

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

// आदेश //

क्रमांक/ 309/ 22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक 03/03/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल जबलपुर को मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में इन्व्यू.पी. (एस) क्र. 18/2016 श्री मोहम्मद शाहदत अंसारी, सहायक यंत्री ग्रा.यां.से. दंतवाड़ा, छत्तीसगढ़ विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में म0प्र0 राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार कर सकेगा।
- 6- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात/पत्र भेजे :-
 - क. वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
 - ख. प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - ग. उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है।
 - घ. मामले के निराकरण के लिए आवश्यक कागजातों/पत्रों की प्रक्रिया इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिये।
- 7- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8- जब भी कोई आदेश/निर्देश विनिर्दिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।

- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- 11- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है। अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाये।
- 12- प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा हुआ न रह जाये।
- 13- न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है। ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।

(एस.आर. चौधरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 8/03/2016

पृ.क्र./ 3092 /22/वि-16/वि.प्र./2016
प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
4. प्रभारी अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण में अधिकरण से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता आगामी कार्यवाही हेतु सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबदावा प्रस्तुत कर शासन को भेजने हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग